खण्ड 2

मतदान व्यवहार का निर्धारण

खण्ड 2 परिचय

चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपने प्रतिनिधियों को विधायी निकायों जैसे लोक सभा, राज्य सभा या स्थानीय जनसंपर्क संस्थाओं में चुनते हैं। लोग विभिन्न जाति, वर्ग, भाषाई समूहों से आते हैं। ये मतदान व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। यह खण्ड मतदाताओं के मतदान व्यवहार के कारकों की चर्चा करता है। इकाई संख्या 4 में जाति, वर्ग, लिंग और जनजाति का विवरण है तथा इकाई संख्या 5 में नृजातीयता, धर्म, भाषा जैसे कारकों की चर्चा की गई है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 4 जाति, वर्ग, जेन्डर और जनजाति*

इकाई की रूपरेखा

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 मतदान व्यवहार क्या है?

4.3 भारत में मतदान व्यवहार के अध्ययन की उत्पत्ति

4.4 मतदान व्यवहार के कारक

4.4.1 जाति

4.4.2 वर्ग

4.4.3 जेन्डर

4.4.4 जनजाति

4.5 सारांश

4.6 संदर्भ

4.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

4.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप यह समझ सकेंगे :

- मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न के कारकों को परिभाषित करना;
- लोकतंत्र में मतदान व्यवहार के महत्व को रेखाकिंत करना;
- मतदान व्यवहार में जाति एव वर्ग किस प्रकार से महत्वपूर्ण कारक है उसकी चर्चा करना; तथा
- मतदान व्यवहार के निर्णायकों में जेन्डर एवं जनजाति की भूमिका की व्याख्या करना।

4.1 प्रस्तावना

आपने पिछली इकाइयों में राजनीतिक दलों एवं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा होगा। राजनीतिक दल प्रमुख संस्थाऐं हैं जिनके द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं ताकि वे सरकार चला सकें। राजनीति के कई आयाम होते हैं जिसमें संस्थाओं से लेकर चुनाव शामिल हैं। विद्वान अपने-अपने तरीके से चुनाव का अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे प्रमुख तरीका है सर्वेक्षण करना और यह पता लगाना कि चुनाव व्यवहार के कौनसे कारक चुनावी व्यवहार को प्रभावित करते हैं। चुनावी अध्ययन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। चुनाव में लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव अपनी इच्छा के अनुसार से करते हैं। ये किसी दल के हो सकते हैं या फिर बिना दल के समर्थन से भी चुनाव लड़ सकते हैं। जो किसी भी दल से चुनाव लड़ते हों उन्हें निर्दलीय के रूप में जाना जाता है। ऐसे मामलों में जहाँ कई उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं मतदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उनमें से एक को ही वोट दें। मतदाताओं के मतदान आचरण को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। भारत में जाति, वर्ग, जनजाति, लिंग (जेंडर), धर्म, भाषा तथा जातीयता जैसे अनेक निर्धारित

*डॉ. दिव्या रानी, कंसलटेंट, राजनीति संकाय, इग्नू, नई दिल्ली

मतदान व्यवहार को निर्धारित करते हैं। इस इकाई में आप उनमें से पहले चार कारकों के बारे में पढ़ेंगें। आप इकाई 5 में जातीयता, धर्म और भाषा के बारे में पढ़ेंगे।

4.2 मतदान व्यवहार क्या है?

मत व्यवहार, मत डालने के तरीकों या उन कारकों को परिभाषित करता है जो वोट देने में लोगों को प्रभावित करते हैं। इसके अध्ययन से पता चलता है कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से है। मतदान व्यवहार का अध्ययन, मतदान के आँकड़ों, चुनावी आँकड़ों के रिकार्ड या अवलोकन तक सीमित नहीं है। यह मतदाताओं के अनुभव, भावना आदि के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को शामिल करता है और राजनीतिक कार्यवाही और संस्थागत ढ़ाँचे के साथ उनके संबंधों को भी शामिल करता है।

4.3 भारत में मतदान व्यवहार के अध्ययन की उत्पत्ति

मत व्यवहार का अध्ययन चुनाव अध्ययनों का एक हिस्सा है। चुनावों के अध्ययन के विषय को सेफोलोजी कहते हैं। इसका उद्देश्य चुनावों के दौरान मतदाताओं के व्यवहार के बारे में प्रश्नों का विश्लेषण करना होता हैं। मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट क्यों देते हैं? या वे चुनाव में एक ही पार्टी को क्यों पसंद करते हैं? क्या ये आर्थिक कारक? क्या यह मजबूत नेतृत्व या करिशमाई नेतृत्व हैं? ये कुछ सवाल हैं जिन पर मतदान के निर्धारकों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। भारत में राजनीतिक विद्धान, समाजशास्त्री, मानवविज्ञानी, मीडिया हाउस और राजनीतिक दल चुनावी अध्ययनों में लगे हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 1951-52 के प्रथम आम चुनावों के समय से 1950 के दशक से चुनाव अध्ययन शुरू हुए थे। लेकिन व्यवस्थित तरीके से चुनावी अध्ययन 1960 के दशक से शुरू हुए थे। रजनी कोठारी और मायरन वीनर जैसे राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इसका आरंभा किया था। 1980 के दशक में प्रणय रॉय और अशोक लाहिरी की पुस्तक ने इस अध्ययन को नयी गति दी।

लेकिन 1990 के दशक से ही चुनावी अध्ययनों का निर्यात तरीके से अध्ययन हो रहा है। इसका प्रमुख कारण लोक सभा था राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव में हो रही निरंतर वृद्धि है। 1990 के दशक में भारत में चुनावी अध्ययन की पहल को शुरू करने का श्रेय जाने माने शिक्षाविद योगेन्द्र यादव को जाता है जो कि सी.एस.डी.एस से संबंधित रहे। यह ठीक लोकनीति के नाम से जाने वाले एक संगठन के बैनर तले चुनाव के अध्ययन का आयोजन करती है। सी.एस.डी.एस. टीम के सदस्यों के रूप में, देश में विभिन्न विश्वविद्यालायों के विद्धानों ने चुनाव अध्ययन की व्यवस्था थी। चुनाव अध्ययन करने के तरीकों में मुख्य रूप से सर्वेक्षण शामिल हैं। इन सर्वेक्षणों को राष्ट्रीय चुनाव सर्वेक्षण कहा जाता है। चुनाव से पहले या बाद में; शोधकर्ता चुनाव प्रभाव के विभिन्न पहलुओं को जानने के लिये सर्वेक्षण के अध्ययन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन अध्ययनों के नतीजों को कई पुस्तकों, लेखों, पत्रिकाओं में प्रकासित भी किया जाता है। सी.एस.डी.एस. के अलावा, कई शोधकर्ता और मीडिया समूह, राजनीतिक दल मतदान व्यवहार के निर्धारकों के अध्ययन में संलग्न है।

4.4 मतदान व्यवहार के निर्धारक कारक

मतदान व्यवहार के विभिन्न निर्धारक कारक हैं जैसे धर्म, जाति, वर्ग समुदाय, जातीयता, भाषा, विचारधारा, राजनीतिक हलचल इत्यादि। राजनीतिक दल इन कारकों का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिये करते हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी इन कारकों का प्रयोग

मतदाताओं को रिझाने के लिये करते हैं। चाहे वे किसी भी विचारधारा से संबंध रखते हों। मतदाता भी इन कारकों के आधार पर ही अपना मत देते हैं। इस खण्ड में हम जाति, वर्ग, लिंग (जेन्डर) और जनजाति जैसे भारत में मतदान व्यवहार के निर्धारक कारकों की चर्चा करेंगे।

4.4.1 जाति

जाति मतदान व्यवहार का सबसे प्रमुख कारक माना जाता है। यद्यपि जाति स्वतंत्र भारत में चुनाव का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी तत्व है लेकिन 1990 के दशक से यह अधिक प्रभावशील हो गया है। इसका प्रमुख कारण है वी.पी. सिंह सरकार ने ओ.बी.सी. के लिये मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना था जिसने केन्द्र सरकार की संस्थाओं में इन वर्गों के लिये आरक्षण का सुझाव दिया था। इसने उत्तर भारत में प्रमुख दलों जैसे बी.एस.पी., एस.पी. और आर.जे.डी. को उभरने का मौका दिया।

इन राजनीतिक दलों की पहचान दलितों, पिछड़े वर्गों या कृषक वर्गों के दलों के रूप में हुई है। इनके उदय के पूर्व काँग्रेस पार्टी विभिन्न जातियों के गठबंधन का प्रतिनिधित्व करती थी। इन पार्टियों ने निम्न जातियों के महत्व को रेखांकित किया है और इन जातियों ने चुनावी राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इन जातियों के उदय ने विभिन्न जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दिया है।

भारत में चुनावी अध्ययनों से यह पता चला है कि भारत में लोकतंत्र के स्तर में जाति एक महत्वपूर्ण मापदंड के तौर पर कार्य करती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि विभिन्न जातियों की विशेषकर दलितों एवं पिछड़े वर्गों की भागीदारी ने लोकतंत्र में एक शांत क्रांति (Silent Revolution) अथवा प्रजातांत्रिक उथल-पुथल का संकेत दिया है। जाति के राजनीतिकरण ने कमजोर वर्गों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समुचित भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया है। राजनीतिक दल भी अपने कार्यक्रमों, घोषणा पत्रों को बनाते समय जाति का विशेष ध्यान रखते हैं। जाति नीति-निर्माण को भी प्रकाशित करती है। राजनीतिक दल अपने प्रत्यशियों का चयन उनकी जाति के आधार पर तय करते हैं। जो प्रत्याक्षी चुनाव लड़तें हैं वो सीमित जातियों से होते हैं लेकिन जो जातियाँ मतदान में हिस्सा लेती हैं वो संख्या में अधिक होती है। ऐसे मामलों में, जातियाँ अपनी-अपनी जाति के प्रत्याशियों को वोट देती हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि जाति का महत्व कम हो जाता है? क्योंकि मतदाता उम्मीदवारों के लिये अपनी जाति के साथ-साथ अन्य जाति के प्रत्याशी को भी वोट देते हैं। आमतौर पर जाति समूह (एक से अधिक जातियाँ) ऐसे उम्मीदवार को वोट देने का निर्णय करता है जो अपनी जाति का नहीं होता क्योंकि मतदान देने वाली जातियाँ अनेक होती हैं तथा उम्मीदवार एक जाति का होता है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावों में जाति अधिक निर्धारक कारक होता है। जाति कारक न केवल पार्टी के गठन को प्रभावित करता है बल्कि, राष्ट्रीय पार्टी के साथ जाति विशेष के संबंध को भी प्रभावित करता है। जैसा कि पुष्पेन्द्र ने एक लेख में उल्लेख किया है, जिसमें 11वीं लोकसभा चुनाव (1996) में उच्च जाति के नेताओं ने खासकर उत्तरी भारत में काँग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और भाजपा के पीछे चले गये। आंतरिक विभाजन तथा संघर्षों क बावजूद क्षेत्रीय दलों और पिछड़ी जातियों के उदय को विभिन्न क्षेत्रीय दलों और मतदाताओं के रूप में जबरदस्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला है। जिन पक्षों की पहचान विशिष्ट जातियों के साथ की जाती है, वे मुख्य जातियों में अपना समर्थन आधार बनाए रखना चाहते हैं। जिन पार्टियों का समर्थन का आधार प्रमुख जातियां होती है वो उन्हें बनाए रखना चाहती है। उदाहरण के तौर पर बी.एस.पी., एस.पी., आर.जे.डी., जे.डी.यू.। इन पार्टियों का आधार दलित एवं पिछड़े वर्ग हैं

जबकि बी.जे.पी. का आधार मुख्यता उच्च जातियां है। लेकिन कई अवसरों पर जातियों का एक वर्ग अन्य पार्टियों को भी समर्थन करता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये जातियाँ अपने दलों से असंतुष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए यू.पी. में 1990 में, कई पिछड़ी जातियों ने बी.जे.पी. को समर्थन दिया था। शोधकर्ताओं ने इसे बी.जे.पी. का मंडलीकरण कहा था। इस शताब्दी के प्रथम दशक तक कई उच्च जातियों ने बी.एस.पी. एवं एस.पी. का भी समर्थन किया था। शाह के अनुसार पाटियाँ विभिन्न जातियों के सदस्यों को पार्टी का टिकट देकर अकॉमॉडेट (शामिल) करती हैं। 1950 के दशक के चुनावों के दौरान, जातिवादी संगठनों ने अपनी एकता बनाये रखी और अपने समर्थकों को वोट देने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने अपनी जाति के अपने सदस्य को वोट देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया चाहे वे किसी भी दल के उम्मीदवार हों। तथापि, कभी भी जातियाँ एकजुट (en bloc) जाति के आधार पर वोट नहीं डालती हैं।

अभ्यास प्रश्न 1

नोटः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) मतदान व्यवहार क्या है? मतदान व्यवहार के विभिन्न निर्धारक कारक कौन-कौन से हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2) जाति मतदान व्यवहार का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। क्या आप इस कथन से सहमत है?

.....

.....

.....

.....

.....

4.4.2 वर्ग

वर्ग आर्थिक मामलों जैसे रोज़गार या रोजगार भत्ता, मूल्य वृद्धि, भूमि सुधार, सब्सिडी, गरीबी हटाओ, ऋण माफी आदि में परिलक्षित होता है। ये मुद्दे कई चुनावों में अभियान का केंद्र रहे हैं। 1971 के लोकसभा चुनावों में काँग्रेस का प्रमुख नारा था गरीबी हटाओ, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली थी। यह नारा मुख्य रूप से काँग्रेस के पक्ष में मतदान करने वाला निर्धारित कारक बन गया था। 1960 के दशक में देश के सुधार और कल्याण की योजनाओं में राजनीतिक आंदोलनों के मुख्य मुद्दों में वर्गीय मुद्दों को भी शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा से वाममंथी दलों की नीतियाँ की थी

जो आर्थिक नीतियाँ थीं उन्होंने कई चुनावों में मतदाताओं के व्यवहार को निश्चित किया। 1960 में समाजवादी दलों ने अन्य विपक्षी दलों के साथ आर्थिक मुद्दों पर जनता को लामबंद किया। इसके परिणामस्वरूप काँग्रेस की 1967 के चुनावों में आठ राज्यों पराजय हुई और वहाँ पर गैर-काँग्रेसी सरकारों की स्थापना हुई। 1970 दशक के दौरान, उत्तर भारत में चरण सिंह के नेतृत्व में भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोकदल या लोकदल की स्थापना हुई। इस दल ने विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में अमीर और मध्यम किसानों के वर्गगत मुद्दों की वकालत की। ये किसान अधिकतर मध्य जाति के थे जैसे जाट, यादव, कुर्मी इत्यादि। इस प्रकार ये दल कृषक समुदायों का जाति और वर्ग दोनों के रूप में प्रतिनिधित्व करते थे। चरण सिंह के नेतृत्व वाली पार्टियों के समर्थन में उनका मतदान व्यवहार एक ही समय में वर्ग और जाति दोनों कारकों द्वारा निर्धारित होता था। फिर भी, जैसाकि आपने ऊपर पढ़ा है, अनेक क्षेत्रीय पार्टियाँ जाति पर आधारित है और मतदाता उस जाति विशेष का समर्थन करते हैं जो उनकी जाति का हो। वे वर्ग को प्राथमिकता नहीं देते। दिल्ली जैसे शहर में 2020 के विधान सभा चुनावों में बिजली और पानी के बिलों में रियासत से संबंधित आर्थिक मुद्दों ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान को प्रभावित किया। 1998 के विधान सभा चुनाव में मतदाताओं ने प्याज की कमी और उनकी कीमतों में वृद्धि के कारण भाजपा के खिलाफ मतदान किया।

4.4.3 लिंग (जेन्डर)

हालांकि लिंग एक व्यापक अवधारणा या संकल्पना है, लेकिन जब हम मतदान के व्यवहार के संबंध में लिंग पर चर्चा करते हैं, तो मतदान में महिलाओं की भूमिका का उल्लेख मिलता है। 1990 के दशक के बाद से उपेक्षित तबकों या महिलाओं सहित सामान्य वर्गों के लोगों की चुनावों में मतदान की सहभागिता में वृद्धि हुई है। मतदान एक ऐसा उपकरण है जो अपने प्रतिनिधियों की पसंद करने के मामले में महिला सशक्तिकरण को सक्षम बनाता है। मतदान में महिलाओं की भूमिका का महत्व इस तथ्य से उज़ागर होता है कि कई क्षेत्रीय दलों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उनके एजेंडा में शामिल किया गया है या नहीं। इन मुद्दों में घरेलू अर्थव्यवस्था, यौन हिंसा, विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण और सामाजिक दमन इत्यादि हैं। परन्तु राजनीतिक दलों में विधानमंडल में महिलाओं के लिये आरक्षण को लेकर मतभेद हैं। कई दलों ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के कल्याण के बारे में इन मुद्दों को शामिल किया है। उदाहरा के लिए, 2015 में विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं विशेषकर उपेक्षित और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए मद्यपान विरोधी नीति शुरू की। नीतीश कुमार की ''साइकिल योजना'' जो कि लड़कियों के लिए स्कूल जाने के लिए थी, ने बिहार के चुनावों में मतदान व्यवहार को निर्धारित किया। 2014 में मोदी सरकार की ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' और 'जन धन योजना' ने भी महिलाओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित किया। रेणुका डागर ने अपने अध्ययन में (2015) यह दर्शाया कि 2014 के लोक सभा चुनाव में जेंडर एक प्रमुख मुद्दा बन गया था। विशेषकर इसके तीन मुख्ये मुद्दे थेः शासन, विकास एवं धर्मनिरपेक्षता। ये तीनों मुद्दे महिलाओं के कल्याण से जुड़े थे। महिलाओं की सुरक्षा, विकास का मॉडल तथा सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा भी प्रमुख मुद्दे थे। इन मुद्दों के कारण वास्तव में, चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। ये मुद्दे मतदान व्यवहार में भी निर्धारित कारक माने जाते हैं। यद्यपि, अन्य कारक जैसे जाति, वर्ग, धर्म तथा भाषा का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन महिलाऐं अपने अधिकारों एवं कल्याणकारी नीतियों के प्रति सज़ग हो रही है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि राजनीति क्रियाकलापों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन अभी भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं का नेतृत्व काफी कम है। वर्तमान समय में महिलाऐं अधिक सक्रिय हैं

चाहे वो किसी वर्ग, जाति या उनकी शैक्षिक स्थिति कैसे भी हो। इसका प्रमुख उदाहरण है स्थानीय सरकारों में महिलाऐं बड़ी संख्या में भागेदारी कर रही है।

4.4.4 जनजाति

जनजातियाँ, जातियों या वर्गों से अलग होती हैं। जाति का संबंध किसी व्यक्ति के सामाजिक स्तर से है जो हिन्दूओं, मुस्लिमों या सिखों में पाया जाता है। जबकि जनजाति की पहचान किसी अन्य लक्षणों पर जा सकती है। इन लक्षणों में सबसे प्रमुख है, उनका प्रकृति के निकट होना, वन संपदा रहना, प्राकृतिक संसाधन या खनिज संपदा पर उनकी अर्थव्यवस्था की निर्भरता, जनजातियों के सदस्यों में आपेक्षिक सामाजिक समानता तथा महिलाओं की आपेक्षिक स्वतंत्रता होना। जनजातियाँ विभिन्न धर्मों से संबंध रखती है जैसे, इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म आदि। संविधान में इनके लिये अलग से प्रावधान किये गये है। पाँचवी एवं छठी सूची में जनजातिय इलाकों के लिए शासन का प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों में उनकी पहचान की रक्षा जैसे संस्कृति, रीति-रिवाज या आर्थिक हित शामिल है। भारत में कई इलाकों में जनजातियाँ रहती हैं जैसे उत्तर-पूर्व भारत में असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणीपुर, नागालैण्ड, मिजोरम और सिक्किम में। इसके अलावा वे अन्य क्षेत्रों भी रहती है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादि में। जनजातियों की हमेशा शिकायत रही है कि उन्हें अलगाव का सामना करना पड़ता है तथा बाहरी लोग उनकी अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति का शोषण करते हैं। कई अवसरों पर इसका परिणाम जातिय हिंसा का रूप ले लेता है। राजनीतिक दल, छात्र, संगठन एवं अन्य सामाजिक संगठन जनजातियों को संगठित करती है। प्रत्येक चुनाव में राजनीतिक दल आदिवासी संस्कृति उनकी पहचान, अर्थव्यवस्था एवं स्वायत्ता जैसे मुद्दों को उठाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण मतदान व्यवहार का निर्धारक कारक हैं उनकी सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, जैसे, जंगल, खनिज एवं प्राकृतिक संसाधन। पाँचवी एवं छठी अनुसूची में क्षेत्रीय विकास, राजनीतिक स्वायत्ता जैसे मुद्दों को शमिल किया गया है। ये मुद्दे प्रमुखतया आदिवासियों के मतदान व्यवहार का निर्धारण करते हैं।

अभ्यास प्रश्न 2

नोट क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) चुनाव जीतने के लिये राजनीतिक दलों के लिए जेंडर प्रमुख मुद्दा बन गया है? इस प्रश्न का उत्तर उदाहरण सहित दीजिएं।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) जनजातियों के मतदान व्यवहार के प्रमुख निर्धारक कारक कौन-कौन से हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

4.5 सारांश

चुनाव लोकतांत्रिक देश की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह भारत के बारे में भी सत्य है। 1951-52 से भारत में राष्ट्रीय स्तर एवं क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव हुए हैं। लोग विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषा, लिंग से संबंध रखते हैं। वे इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। चुनावों में भी ये कारक मतदान व्यवहार के प्रमुख निर्धारक होते हैं। लेकिन ये कारक तब बहुत अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं जब ये लोगों की आर्थिक जरूरतों जुड़ जाते हैं। भारत में कई प्रकार के चुनावी अध्ययन हुए हैं जिनमें मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण दर्शाया गया है।

4.6 संदर्भ

ब्रास, पॉल आर. (1985), *कास्ट, फैक्षन, एण्ड पार्टी इन इंडियन पोलिटिक्सः इलैक्षन स्टडीज,* चाणकय प्रकाशन, नई-दिल्ली।

चौबे, एस.के. (1985), *इलैक्टोरल पोलिटिक्स इन नोर्थईस्ट इंडिया,* ओरियंट लोंगमैन, हैदराबाद।

बनर्जी, मधुलिका (2014), *व्हाई इंडिया वोट्स?* राउटलेज, न्यू-दिल्ली।

महाजन, गुरप्रीत (2019), *रीडिंग इंडिया सैलेक्संस फ्रोम ई.पी.डब्ल्यू.* न्यू दिल्ली, ओरियंट ब्लैक स्वन।

रॉय, प्रणय, बटलर, डेविड एण्ड लाहिरी, अशोक (1984), *ए कंपेडियम ऑफ इंडियन इलैक्संस,* अरनोल्ड, हीनेमन।

देसाई, पी. (1967), ''कास्ट एण्ड पोलिटिक्स'', *ई.पी.डब्ल्यू,* वोल्यूम 2 (17): 797-799।

सेठी, रेणु (1988), ''डिटर्मिनेंट्स ऑफ वूमन्स एक्टिव पोलिटिकल पार्टिसिपेषन, *ई.पी.डब्ल्यू,* वोल्यूम 49 (4): 565-579।

मोइन, शकीर, (2019), ''इलैक्टोरल पार्टिसीपेशन ऑफ माइनोरिटिज एण्ड इंडियन पोलिटिकल सिस्टमः इन गुरप्रीत महाजन, (सं.) *रिडिंग इंडियन सलेक्शन फ्राम ई.पी.डब्ल्यू.,* नई दिल्ली, आरियंट ब्लैक स्वन।

संजय कुमार (2009), चेंजिंग फेस ऑफ देहली पोलिटिक्सः हैज इट चेंजड् द् फेस ऑफ द् पोलिटिकल रिप्रजेंटेटिव्स? इन द् बुक ऑफ क्रीस्टोफ्र जैफरलो - संजय कुमार, *राइज ऑफ प्लेबियंस? द चेंजिग फेस ऑफ द इंडियन लेजिस्टलेटिव एसेंबलीस* न्यू-दिल्ली, राउटलेज।

पुष्पेन्द्र, (1999), दलित असर्सन थ्रू इलैक्टोरल पोलिटिक्स' *ई.पी.डब्ल्यू.* वोल्यूम 34 (36): 2609-2618।

डागर, रेणुका (2015), ''जेन्डर नेरेटिव्ज एण्ड इलैक्संसः मेनडेट फोर सेफ्टी, डवलपमेंट ओर राइट्स?, इन पॉल वैलेस, *इंडियाज 2014 इलैक्षंस, ए मोदी लेड बी.जे.पी. स्वीप,* सेज प्रकाशन, न्यू-दिल्ली।

शाह-घनस्याम (2002), कास्ट एण्ड डेमोक्रेटिक पोलिटिक्स इन इंडियाः न्यू-दिल्ली, परमानेंट ब्लैक।

पॉल वैलेश (2015), *इंडियाज 2014 इलेक्षंसः ए. मोदी लेड बी.जे.पी. स्वीप,* सेज प्रकाशन, न्यू-दिल्ली।

4.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1) मतदान व्यवहार मत देने के तरीकों को परिभाषित करता है तथा जो कारक लोगों को मतदान में प्रभावित करते हैं उनको परिभाषित करता है। यह न केवल वोटिंग करने के आँकड़ों रिकार्ड के बारे में बताता है बल्कि यह मनोवैज्ञानिक कारकों जैसे भावनाऐं की भी बात करता है। भारत में जाति, धर्म, भाषा, जेन्डर इत्यादि मतदान व्यवहार के प्रमुख निर्धारक कारक हैं।

2) जाति मतदान व्यवहार का महत्वपूर्ण कारक है। प्रथम चुनाव के समय से ही जाति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत में क्षेत्रीय दलों को विभिन्न जातियों का समर्थन मिलता है। भारत में राजनीतिक दलों के नेता जातियों का समर्थन हासिल करते हैं।

अभ्यास प्रश्न–2

1) समकालीन भारतीय राजनीति में, जेंडर एक महत्वपूर्ण कारक है जो चुनावों को प्रभावित करता हैं। विधान सभा चुनावों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के कल्याण के लिये कई नीतियाँ लागू की थी।

2) जंगलों की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षक तथा जनजाति संस्कृति की रक्षा इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण कारक है जो जनजातीय मतदान व्यवहार के निर्धारित तत्व हैं।

इकाई 5 नृजातीयता, धर्म और भाषा*

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 वोटिंग व्यवहार के कारक

5.2.1 नृजातीयता

5.2.2 धर्म

5.2.2.1 सोशल मीडिया की भूमिका

5.2.3 भाषा

5.3 सारांश

5.4 संदर्भ

5.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

5.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप यह समझ सकेंगे :

- वोटिंग व्यवहार में नृजातीयता की भूमिका;
- चुनावी राजनीति में धर्म के महत्व को परिभाषित करना;
- चुनावी राजनीति में भाषा की राजनीति।

5.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आपने वोटिंग व्यवहार के अर्थ एवं उसकी उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया था। इसके अलावा आपने वोटिंग व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों जैसे जाति, वर्ग, जेंडर, तथा जनजाति के बारे में भी अध्ययन किया था। भारत में वोटिंग व्यवहार में एक-रूपता दिखाई देती है। इस इकाई में आप नृजातीयता, भाषा और धर्म जैसे कारकों की वोटिंग व्यवहार में भूमिका है का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आप यह भी अध्ययन करेंगें कि किस प्रकार मीडिया अपनी भूमिका वोटिंग व्यवहार में अदा करता है।

5.2 वोटिंग व्यवहार के निर्धारण तत्व

इस इकाई में आप भारत में वोटिंग व्यवहार को निर्धारित करने वाले कारकों नृजातीयता, धर्म और भाषा की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे :

5.2.1 नृजातीयता

नृजातीयता क्या है? साहित्य में नृजातीयता का प्रयोग दो तरह से किया जाता है : एक, पहचान बनने का आधार एक से अधिक कारक होते है, जैसे जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति इत्यादि के रूप में करना तथा दूसरा, पहचान बनने का आधार केवल एक ही कारक होता है। आपने इकाई संख्या 4 में एकल चिन्ह जैसे जाति, वर्ग, जेंडर इत्यादि के बारे में पढ़ा

*डॉ. दिव्या रानी, कंसलटेंट, राजनीति संकाय, इग्नू, नई दिल्ली

होगा। इस इकाई में आप धर्म, भाषा एवं नृजातीयता के बारे में पढ़ेगे। नृजातीयता न केवल चुनावों में ही नहीं बल्कि यह राजनीति दलों के गढन में भी भूमिका रखती है। चंद्रा (2000) के अनुसार उत्तर भारत में बहुजन समाज पार्टी एक नृजातीयता पर आधारित पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का उदय दलितों एवं पिछड़े वर्गों के सामाजिक आंदोलन में से हुआ था। बाद में ये वर्ग ही इस पार्टी का प्रमुख जनाधार बन गये थे। चंद्रा नृजातीयता पार्टी को परिभाषित करते हुए लिखती हैं कि यह पार्टी प्रमुखता नृजातीयता समूहों, के हितों की बात करती है। उनका मानना है कि बी.एस.पी का समर्थन प्रमुख रूप से दलित वर्ग करता है और इसमें अन्य समूह शामिल नहीं है। किसी भी नृजातीयता पार्टी की तीन प्रमुख विशेषताऐं होती है। (i) इसमें एक समूह का निमार्ण किसी मौलिक कारक जैसे जाति के आधार पर होता है। (ii) यह समूहों के सदस्यों को लामबंद करती है तथा समूहों, बाहरी लोगों को लाभबंद नहीं करती है, (iii) तथा यह जातीय समूहों के हितों की ही महत्ता देती है। जहाँ तक पार्टी के आंतरिक ढ़ाँचे का सवाल है चंद्रा मानती है कि जो पार्टी केन्द्रिकृत नियमों का पालन करती है वह नये जातीय समूहों को शामिल करने में दिक्कत महसूस करती है लेकिन जो पार्टी इन नियमों से दूर है वह उन्हें शामिल करने में समर्थ होती है। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि ऐसी पार्टी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह उन जातीय समूहों को किस तरह से अपने साथ रखती है और उन्हें उच्च पदों पर किस तरह से संजोकर रखती है।

कई कारकों के आधारों पर जातीयता का सबसे उपयुक्त उदाहरण, जिसने मतदान के व्यवहार का निर्धारण किया जाता है। भारत के पूर्वोत्तर भारत तथा अन्य आदिवासी क्षेत्रों में किया जा सकता है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य जातीयता आधारित निर्वाचक राजनीति और मतदान के व्यवहार के महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन क्षेत्रों में मौटे तौर पर दो प्रकार के नृजातीय समूह हैं : एक, जो अति प्राचीन काल से इन क्षेत्रों में रह रहे है, और दो, जो लोग विभिन्न कारणों से रोजगार व्यापार या खेती के लिये समय अवधि में इन क्षेत्रों में प्रवास करते है। पहचान के निर्माण के आधार हैं, संस्कृति, (भाषा, पोशाक, खान-पान तथा लोक कला, आदि) इतिहास, अर्थव्यवस्था, भेदभाव और शोषक की वास्तविक या कथित भावना। इन चिन्हों पर विभिन्न जातीय समूहों का गठन किया गया है। राजनैतिक प्रतिस्पर्धा या राजनीतिक संघर्ष के समय ये राजनैतिक लामबंदी के प्रतीक बन जाते हैं। ठोस शब्दावली में जातीय चिन्ह को संकेतों के आधार पहचाना जाता है जैसे, प्रवास, नागरिकता, पहचान संरक्षण तथा संस्कृति तथा भूमि की रक्षा के आधार पर व्यक्त किया जाता है।

इन मुद्दों पर एकजुटता क्षेत्रीय स्वायत्तता, आत्मनिर्णय, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार की सुरक्षा की माँग के लिये नहीं बल्कि इस अवधि में भी होती है जब चुनाव हो सके ये मुद्दे संयुक्त रूप से मतदान का व्यवहार काफी हद तक तय करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से समर्थन प्राप्त करने वाले क्षेत्रीय दलों की जीत नस्लीय समूहों ने इस क्षेत्रों में मतदान के आचरण के निर्धारण के रूप में कई मार्करों पर गठित जातीयता के तथ्य को इंगित किया है।

अभ्यास प्रश्न 1

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) मतदान व्यवहार को निर्धारित करने में जातीयता की भूमिका पर एक लेख लिखिये।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.2.2 धर्म

भारत एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र है। यह सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है तथा सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करता है। भारत में धर्म के आधर पर अपील करना या राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है। क्योंकि धर्म लोगों के जीवन या प्रमुख भाग है इसलिए व्यवहार में धर्म को राजनीति से अलग करना असंभव है। धर्म न केवल लोगों के राजनीतिक व्यवहार पर प्रभाव डालता है बल्कि राजनीतिक दल एवं नेता धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो सके। कुछ राजनीतिक शास्त्रियों ने धर्म एवं राजनीति के बीच संबंधों के महत्व को रेखांकित किया है। शकिर (2019) ने यह दलील दी कि भारत में धर्म पश्चिम से कहीं अधिक लोकप्रिय है। भांभरी और वर्मा (1972) ने यह दलील पेश की कि विकासशील समाजों में धर्म और राजनीतिक में अंर्तसंबंध होता हैं। कई राजनीतिक दल विभिन्न धार्मिक समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते है। यहाँ तक कि राजनीतिक एकगुटता एवं सरकार के निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में भी चर्चा महत्वूपर्ण भूमिका अदा करता है।

भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों ने धार्मिक प्रतीकों के आधार पर राजनीतिक समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। ये दल धार्मिक पहचान के आधार पर अपने प्रत्याक्षियों का भी चयन चुनाव लड़ने के लिये करते हैं, तथा जनता भी प्रायः धार्मिक आधार पर अपना देती है। इस प्रकार, धर्म भारत में मतदान व्यवहार में एक प्रमुख कारक का कार्य करता है। भारत में कुछ ऐसे दल हैं जो धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक समर्थन के लिए करती है। बी.जे.पी., शिव-सेना, शिरोमणी अकाली दल तथा एम.आई.एम. इसके उदाहरण हैं। राजनीतिक दल, नेता और संगठन धार्मिक मुद्दों और गैर-धार्मिक मुद्दों को साथ मिलाते है। यद्यपि मतदान व्यवहार के निर्धारक के रूप भूमिका रखता है, हमेशा केवल धर्म निर्णायक नहीं होता। धर्म तब प्रभावी होता है जब इसे समुदाय की गैर-धार्मिक जरूरतों के साथ मिलाया जाता है। ये गैर-धार्मिक जरूरते हैंः शासन के मुद्दे, भ्रष्टाचार को दूर करना, सांस्कृतिक समस्याऐं, धार्मिक समुदायों के आम मुद्दे है। मतदाताओं का मानना है कि उनके एक पार्टी का उम्मीदवार चुनावों में चयन न केवल उनके धर्म की रक्षा करेंगे बल्कि, संस्कृति और आर्थिक हितों की भी रक्षा करेंगे तथा एक अच्छा शासन प्रदान करेंगे। धार्मिक लाभबंदीकरण में अकसर, एक धार्मिक समुदाय को ऐसा लगता है कि दूसरे समुदाय के साथ पक्षपात करने से उसके हितों की अनदेखी की जाती है। प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति में ये दोनों आपस में प्रतिद्वंदी बन जाते है। ऐसी स्थिति में धार्मिक, ध्रुवीकरण के कारण विभिन्न धार्मिक समुदाय अलग-अलग प्रतिद्धंदी दल अथवा नेता को मत देते हैं।

भारत में, 1980 के दशक से धर्म मतदान के आचरण का नियमित निर्णायक बन गया है। इससे पहले, 1960 के दशक में यह प्रभावी हो गया था। यह वह समय था, जब देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जो सूखे, खादयान समस्या तथा कांग्रेस के विरूद्ध

आम जनता का विरोध में परिलक्षित हुआ था। विश्व हिन्दू परिषद और जनसंघ द्वारा गोवध पर प्रतिबंध लगाने के अलावा समाजवादी दल और कम्युनिस्टों ने भी जनता को सूखे और खाद्यान संकट पर लामबंद किया। इसका प्रभाव और 1967 और 1969 के विधानसभा चुनावों में कई राज्यों में कांग्रेस की पराजय में हुआ। जनसंघ की विजय में, धर्म मतदान के आचरण का एक महत्वपूर्ण निर्धारक था। लेकिन धर्म ही एकमात्र तत्व नहीं था बल्कि इसका संचालन आर्थिक मुद्दों के साथ-साथ होता था। 1967 से पहले हुए चुनावों में धर्म ने मतदान की प्रवृत्ति को निर्धारित करने में बहुत कम भूमिका निभाई। यह कांग्रेस के वर्चस्व का युग था, जिसमें राष्ट्र-निर्माण, राष्ट्रीय आंदोलन की निराशा, जाति और जाति आधारित संरक्षण प्रमुख निर्धारक तत्व थे।

केन्द्र में सरकार जनता पार्टी (1977-1980) के पश्चात 1980 में कांग्रेस ने नया नाम कांग्रेस (आई) रखा और इसने राजनीतिक लाभ के लिये धार्मिक चिन्हों का प्रयोग किया। इसने लोगों का समर्थन खो देने के बाद नई रणनीति अपनाई खासकर मुसलमानों के लिये जिसने आपातकाल में की गई ज्यादतियों के कारण उनका समर्थन खो दिया था। कांग्रेस को 1985-86 के उप-चुनावों में भी जबरदस्त झटका लगा था। उसने हिदुंओं और मुसलमानों के बीच संतुलन स्थापित करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास किया। कांग्रेस ने हिंदुओं का समर्थन लेने के उद्देश्य से अयोध्या में राम मंदिर की प्रस्तावित जगह पर शिलान्यास रखने की विश्व हिन्दू परिषद को अनुमति दी। कांग्रेस का यह कदम विहिप की उस मांग के उत्तर में था जिसमें यह माँग की गई थी कि मस्जिद के स्थान पर मंदिर के निर्माण के लिये बाबरी मस्जिद से ताला हटा दिया जाये। इंदिरा गांधी की हत्या के परिणामस्वरूप आंदोलन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। कांग्रेसी सरकार ने फरवरी, 1986 में राम मंदिर के दर्शन के लिए भी मंदिर का द्वारा खोल दिया। दरवाजा कोर्ट के आदेश से खोला गय था। मुसलमानों के समर्थन के लिये कांग्रेस ने 1985 में मुस्लिम महिला (अधिकार और तलाक) विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य था शाह बानो केस के प्रभाव को विफल करना था। शाह बानो केस उच्चतम न्यायालय के शाह बानो नामक मुस्लिम महिला से संबंधित निर्णय के बारे में था। शाह बानो अपने पति के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुँची, जिन्होंने उसे तलाक दे दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 1985 में शाह बानो के पक्ष में निर्णय दिया कि उसे भरणपोषण के लिये भुगतान होना चाहिये। इससे मुस्लिम समुदाय का एक मुखर गुट उत्तेजित हो गया जिसने अदालत द्वारा दी गई मुस्लिम महिलाओं को मिलने वाले लाभ से वंचित करने वाले कानून पारित करने पर दबाव डाला। मुसलमानों का समर्थन खोने के डर से कांग्रेस सरकार ने अदालत के आदेश से तलाकशुदा महिलाओं के लाभों को नकारने वाले विधेयक को पेश किया। सरकार के निर्णय ने नारीवादियों और समाज के अन्य लोकतांत्रिक वर्गों को नाराज कर दिया। उसने भाजपा को एक मसला भी मुहैया कराया जिसने कांग्रेस अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कांग्रेस के इस कदम को चुनावों में मुस्लिम समर्थन को प्राप्त करने के प्रयास का समझा गया। साथ ही हिंदुओं को सर्मथन लेने के लिये राजीव गांधी ने अयोध्या में मंदिर का ताला खुलवा दिया इससे कांग्रेस और भाजपा के बीच धर्म के नाम पर समुदायों को संगठित करने की प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति हुई। तब से भाजपा 1984 में लोकसभा की मात्र दो सीट से बढ़कर 2019 में 303 सीट हो गई। इसने कई राज्यों में भी स्वयं या अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकारें बनाई। भाजपा की तीन दशकों में हुई तीव्र वृद्धि इस बात का प्रतीक है कि धर्म चुनावी राजनीति में एक महत्वपूर्ण निर्णायक तत्व है। लेकिन जैसी कि पहले ही कहा गया है, धर्म अकेला कार्य नहीं करता है। यह तभी प्रभावी होता है जब अन्य मुद्दे धर्म के साथ जुड़ जाते हैं। बी.जे.पी. की विजय के पीछे कोई एक कारण नहीं है। जैसा पहले कहा गया है धर्म तब प्रभावित हो जाता है जब यह अन्य मुद्दों के साथ जुड़ जाता है। शासन के अलावा, आवश्यक जरूरतें, चुनाव प्रचार के तरीके,

नेतृत्व का क्षेत्र, नौकरियों को देने का वादा करना, काला धन वापस लाना, विचारधारा या राष्ट्रवाद इत्यादि अन्य मुद्दे भी प्रमुख कारण है।

क्षेत्रीय अंतर

चुनावी अध्ययन यह दर्शाते है कि, धर्म के आधार पर चुनावी लामबंदी में क्षेत्रीय अंतर होते हैं। ये अंतर मतदान व्यवहार के समय भी परिलक्षित होते हैं। लेकिन जैसा कि पहले बताया जा चुका है, धार्मिक प्रतीक तभी प्रभावी होते है जब धार्मिक समुदायों की आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं को उसके साथ जोड़ा जाता है। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिये गये हैं। चुनावी राजनीति में हिंदू धर्म के प्रतीक का प्रभाव उत्तर और पश्चिम को भारत में और दक्षिण भारत, कर्नाटक में अब तक अधिक प्रभावशाली हैं। तेलंगाना के संगाबाद, निजामाबाद और मेहबूब नगर जिलों में मुसलमानों की बड़ी संख्या एम.आई.एम. (मजलिस इहटेदूल मुस्लिमीन) के उम्मीदवारों को वोट देती हैं, जबकि हिंदू इससे विरोधी दलों को समर्थन करते हैं। पंजाब में, सिख धर्म के धार्मिक प्रतीकों ने राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिरोमणी अकाली दल ने धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दों को उठाया विशेषकर किसानों के मुद्दों को, जैसे संघवाद या पड़ोसी राज्यों के साथ जल विवाद या पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ बनावा इत्यादि। इसका समर्थन पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत लिख समुदाय प्रमुख रूप से है। सिख धर्म से जुड़े प्रतीक मुख्यत गाँवों में एक निर्धारक कारण रहे हैं, लेकिन पंजाब के शहरी क्षेत्रों में हिंदुओं से जुड़े धार्मिक प्रतीक अधिक प्रभावशाली रहे हैं। शिरोमणी अकाली दल को मुख्य रूप से गाँवों में सिखों का समर्थन तथा भारतीय जनता पार्टी को हिन्दुओं का शहरों में समर्थन मिलता है। महाराष्ट्र में शिव सेना मराठी और हिन्दुओं को लामबंद करती है और यह हिन्दुओं की पहचान से जुड़े प्रतीकों पर लामबंदी करती है। इससे धर्म और क्षेत्र की मतदान के आचरण के निर्धारक के रूप में महत्ता प्रतीत होती है।

5.2.2.1 सोशियल मीडिया की भूमिका

चुनावी राजनीति में लोगों को लामबंद करने के लिये सोशल मीडिया अहम भूमिका निभाता है। यह न केवल धर्म-आधारित लामबंदी को प्रोत्साहित करता है बल्कि लोक लुभावनवाद को भी प्रोत्साहित करता है। समसामयिक निर्वाचन राजनीति में इसका उपयोग दल और दलों के नेताओं के प्रति जनता की धारणाओं को आकर्षित करने अथवा उसमें हेरफेर करने के लिये एक उपकरण के रूप में किया गया है। 2014 और 2019 के आम चुनावों के दौरान सोशल मीडिया ने राजनैतिक दलों और नेताओं के प्रचार-अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्मार्ट फोन और इंटरनेट के उपयोग से राजनीतिक दलों को जनता तक पहुँचने के लिए एक नया मंच उपलब्ध कराया गया है। इस माध्यम का लाभ यह है कि इसमें क्षेत्र, जातीयता और धर्म की कोई बाधा नहीं है। सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण इस्तेमाल युवा वर्ग कर रहा है और इसका लक्ष्य है कि मध्यवर्गीय मतदाताओं को मत देने के पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल न किया जाये। ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब संचार के नए तरीके बन गए है। सभी वर्गों को इसका लाभ मिला है एवं राजनीतिक नेताओं को अपनी विचारधारा जनता तक पहुँचाने में भी इससे मदद मिली है। जैसा कि शाह (2015) ने बताया कि मोदी ने 2014 में 272 के लक्ष्य के लिये डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी जो कि संसद में बहुमत के लिये आवश्यक है। चुनाव प्रचार के दौरान बी.जे.पी. ने इस माध्यम का भरपूर लाभ उठाया और मोदी के मैसेज, ''भ्रष्टाचार मुक्त भारत'', ''विकास और सक्षम प्रबंधन'' को आम जन तक पहुँचाया।

अभ्यास प्रश्न 2

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) यद्यपि भारत एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन धर्म मतदान व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कथन पर टिप्पणी लिखिये।

.....

.....

.....

.....

.....

5.2.3 भाषा

भारत में कई भाषाऐं है और प्रत्येक क्षेत्र को विशेष भाषा और बोलियों से पहचाना जा सकता है। भारत में राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भाषा है। भाषा क्षेत्रीय अस्मिता, राज्यों के पुनर्गठन की राजनीति और भारत के अलग-अलग राज्यों की पहचान का आधार होते हैं। भाषा मतदान व्यवहार के निर्धारक के रूप में भी काम करती है। लेकिन आम तौर पर, अकेले भाषा मतदान व्यवहार को निर्धारित नहीं करती है। ऐसा अन्य कारणों से भी होता है। ये अन्य कारण हैः जब भाषा को समुदाय, क्षेत्र या जातीय समूहों के पक्ष या भेदभाव का आधार माना जाता है। जाति, धर्म जैसे अन्य कारकों की तुलना में भाषा कुछ पस्थितियों में निर्वाचन राजनीति में अधिक प्रभावी हो जाती है। तमिलनाडु में भाषा को सबसे अधिक प्रभावी माना गया है और यह हिंदी के खिलाफ आंदोलन में प्रतिबिंबित हुआ है। पूर्वोत्तर में, विशेषकर, 1960 के दशक में असमी और बंगाली भाषाओं पर टकराव रहा है। इसके फलस्वरूप भाषा राज्य के निर्माण की माँग हुई, और सन् 1972 में, मेघालय का निर्माण हुआ था। असम समझौते के बाद बोडो भाषा बोड़ो प्रभावी क्षेत्रों में रणनीति का प्रमुख कारक बन गयी थी। ऐसी स्थिति क्षेत्रीय, धार्मिक या जातीय समूहों में टकराव पैदा करती है।

उत्तर-प्रदेश की राजनीति में भाषा प्रायः राजनीति का हिस्सा बन जाती है, हिंदी को हिंदू पहचान का प्रतीक और उर्दू को मुस्लिम पहचान का प्रतीक माना जाता है। उर्दू को मान्यता देने की माँग कुछ हिंदुओं को अच्छी नहीं लगी और इसका उन्होंने विरोध भी किया था। 1950-1960 के दशक में हिंदी-उर्दू का विभाजन सांप्रदायिक वैमनस्य का आधार बन गया था। उत्तर प्रदेश में भाषा को लेकर काफी विवाद रहा है। उर्दू राज्य की दूसरी राजभाषा है। 1950 के दशक से कांग्रेस सरकार और दूसरे दलों (समाजवादी, काम्यूनिस्ट, जनसंघ) ने उत्तरप्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में बनाने का विरोध किया था, लेकिन हिंदी को बढ़ावा देने के प्रयास किये थे। समाजवादियों ने 1960 के दशक में यू.पी. एवं बिहार में हिंदी को अनिवार्य करने और अंग्रेजी को हटाने का विरोध करने का आंदोलन किया। 1953 में हाई स्कूल की परीक्षाऐं में (1953 से) देने के लिये राज्य सरकार ने हिंदी को एक मात्र माध्यम बनाया। राज्य सरकार ने उर्दू माध्यम वाले स्कूलों को सरकारी सहायता देना निलंबित कर दिया। लेकिन नेहरु ने हिंदी और उर्दू के बीच समानता की माँग की। सन् 1961-1971 से उत्तर प्रदेश में हिंदी को अधिकारिक संरक्षण दिया गया। उत्तर-प्रदेश की तीसरी राजभाषा संस्कृत थी, उर्दू नहीं जबकि अन्य दो हिंदी और अंग्रेजी थी। 1970 के दशक में उर्दू बोलने वालो ने उर्दू को महत्व दिये जाने की माँग उठायी। केन्द्रिय सरकार

ने उर्दू बोलने की समस्या को दूर करने के लिये गुजराल समिती का गठन किया था। इस समिती ने उर्दू को ज्यादा जगह देने के लिये, त्रि-भाषा सूत्र की सिफारिश की थी। इंदिरा गाँधी को उत्तर प्रदेश में विरोध की आशंका थी तथा जनता पार्टी ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण बताया। इसके परिणामस्वरूप उर्दू को तीसरी अधिकारिक राजभाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली। 1980 में आपातकाल के बाद काँग्रेस के उदय के पश्चात् कांग्रेस ने हिंदू एवं मुसलमानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। उत्तर-प्रदेश में काँग्रेस के घोषणा पत्र में उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने का वादा किया गया। इसका विपक्षी दलों ने विशेषकर बी.जे.पी., लोकदल एवं कुछ काँग्रेस के सदस्यों ने विरोध किया। हालांकि उर्दू के पक्ष में कुद रियासतें दी गयी। 1982 में उर्दू को दूसरी भाषा बनाया गया, लेकिन राजभाषा नहीं बनाया। मुस्लिम विधायकों ने इसके लिये विधेयक लाने की माँग की। 1984 में सरकार ने उर्दू को दूसरी भाषा बनाने का विधेयक पारित किया। लेकिन इस विधेयक को कोर्ट से मंजूरी नहीं मिली। 1989 में एन.डी. तिवारी सरकार ने उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने संबंधी विधेयक को सभा में पारित किया। इसने बंदायूं में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। अंत में 1994 में मुलायम सिंह की सरकार ने एक अध्यादेश लागू किया और इस प्रकार उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन बिहार सरकार ने इसके उलट कार्य किया। 1989 में इसने सरकारी आदेश से उर्दू का समर्थन किया था (विस्तार के लिए देखें, हसन 1998: पृ. 179-89)।

अभ्यास प्रश्न 3

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) भारत के किस राज्य में भाषा मतदान व्यवहार का प्रमुख कारक है?

.....

.....

.....

.....

.....

5.6 सारांश

भारत में मतदान व्यवहार को निर्धारित करने के कई कारक है। एकल एवं बहुल चिन्ह चुनावी राजनीति को प्रभावित करते है। जैसे धर्म, भाषा, जातीयता, जाति, वर्ग एवं जेन्डर इत्यादि। सभी कारक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तथा इनमें एकरूपता नहीं है। जातियता तथा अन्य बहुकारक उत्तर-पूर्वी भारत की राजनीति में प्रभावी रहे हैं। कई विद्वानों जैसे कि कंचन चंद्रा बी.एस.पी. को नृजातिवादी पार्टी मानती हैं, तथा इस पार्टी के समर्थन के लिय जाति की भूमिका को भी रेखांकित करती है। धर्म भी एक अन्य कारक है जो कि चुनावी राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाता है। कई राजनीतिक दल एवं नेता धर्म के नाम पर वोट प्राप्त करते हैं। कई अवसरों पर भाषा ने भी राजनीति में निर्णायक भूमिका अदा की है। विशेषकर यू.पी., असम, तमिलनाडू जैसे राज्यों में भाषा की भूमिका निर्णायककारी रही है। पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया ने मतदान व्यवहार में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। विशेषकर धर्म के संदर्भ में इसकी भूमिका अधिक रही है।

5.7 संदर्भ

बांभरी, सी.पी. एवं वर्मा, पी. एस. (1972), वोटिंग बिहेवियर ऑफ मुस्लिम कम्यूनिटी. द् इंडियन जनरल ऑफ पोलिटिकल साइंस, वोल्यूम, 33 (2) 167-185, अप्रैल सन्. 1972।

चंद्रा, के. (2000), द् ट्राँसफोरमेषन ऑफ एथनिक पोलिटिक्स इन इंडियाः द् डिक्लाइन ऑफ काँग्रेस एन्ड राइज ऑफ बहुजन समाज पार्टी इन होषियारपुर। जनरल ऑफ एषियन स्टडीज, 59 (1) पेज - 26-61।

चंद्रा, के. (2004) व्हाई, एथानिक पार्टीज एक्सीड, ये ट्रोनेज एन्ड एथनिक हैड काउन्ट्स इन इंडिया, कैम्ब्रिज, सी.यू.पी.।

गुडावर्ती, अजय, (2014), ''मुस्लिम ऑफ तेलंगाना, ए ग्राउण्ड रिपोर्ट'', ई.सी.डब्ल्यू, वोल्यूम, 49, नं. 17, 1 अप्रैल, 26।

हसन, जोया, (1998), क्वेस्ट फोर पॉवर, अपोजीशनल मूवमेंटल, एन्ड पोस्ट काँग्रेस पोलिटिक्स, न्यू. दिल्ली, ओ.यू.पी.।

जज, परमजीत सिंह (2012) ''पंजाब इलैक्संस, एन्ड्मूरिंग अकाली दल'', ई.पी.डब्ल्यू. वोल्यूम, 47 (13): 17-20।

कुमार, आशुतोष, ''इलैक्ट्रोल पोलिटिक्स, इन इंडियन पंजाब'', ए न्यू फेज साउथ एषिया रिसर्च, वोल्यूम, 31 (1) 37-57।

मोइन, शकीर (2019), ''इलैक्टोरल फार्रिषियेषन ऑफ माइनोदिरिज एन्ड इंडिया पोलिटिकल सिस्टम'' इन महाजन, गुरप्रीत (2019) रीडिंग इंडिया सेलेक्षन, ओरियंट ब्लैक स्नान - नई-दिल्ली।

पल्शीकर, सुहास, कुमार संजय, एन संजय लोड़ा (2017), ''इलैक्टोरल पोलिटिक्स इन इंडियाः रिसर्जेष ऑफ बी.जे.पी.'' राउटलेज, क्रंसिस एन टेलर ग्रुप।

शाह, धनस्याम (2015) मेगा, मार्केटिंग एन्ड मैनेजमेंटः गुजरात 2014 इलेक्शंनः इन पॉल वैलेश, इंडिया 2014 इलैक्ट्रांस एवं मोदी लेड बी.जे.पी. स्वीप, न्यू दिल्ली सेज प्रकाशन्।

शास्त्री, संदीप, सूरी, के.सी. एन्ड योगेन्द्र यादव (2009), इलैक्टोरल पोलिटिक्स इन इंडिया स्टेट्स, लोक सभा चुनाव इन 2014 एन बियोज. न्यू-दिल्ली, ओ.यू.पी.।

5.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1) जातीयता का प्रयोग दो तरह से किया जाता है। प्रथम जाति, जनजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि जैसे अनेक मार्करों के आधार पर एक पहचान के रूप में तथा दूसरा एक मार्कर के आधार पर एक पहचान के रूप में। जातीयता न केवल मतदान व्यवहार में बल्कि राजनीतिक दलों के गठन में भी दिखाई देती है। मतदान के व्यवहार को निर्धारित करने वाली अनेक बातों के आधार पर बनाई गई जातीयता का सबसे उपयुक्त उदाहरण भारत के पूर्वोत्तर भारत और अन्य आदिवासियों के निवास करने वाले भागों में पाया जा सकता है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में जातीयता आधारित चुनावी राजनीति और मतदान के व्यवहार के महत्वपूर्ण उदाहरण है। विभिन्न जातीय समूहों का गठन विभिन्न चिन्हों के आधार पर किया गया है, जैसे संस्कृति, इतिहास,

अर्थव्यवस्था और भेदभाव तक शोषण की अवधारणा इत्यादि। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा या राजनीतिक संघर्ष में ये मार्कर राजनीतिक लामबंदी का प्रतीक बन जाते हैं।

अभ्यास प्रश्न 2

1) धर्म एक महत्वपूर्ण कारक है जो भारत में मतदान का स्वरूप निर्धारित करता है। धर्म लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि धर्म को राजनीति से अलग करने का अभ्यास आमतौर पर असंभव है। धर्म न केवल राजनीति को प्रभावित करता है बल्कि जनता के आचरण पर राजनीतिक समर्थन के लिये राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा धार्मिक प्रतीकों का भी उपयोग किया जाता है। भारत में भाजपा, शिवसेना, शिरोमणी अकाली दल और एम.आई.एम. जैसे राजनीतिक दल राजनीतिक संस्थाओं में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी, जब धार्मिक प्रतीक गैर धार्मिक मुद्दों से जुड़े होते हैं तो धार्मिक प्रतीक प्रभावी हो जाते हैं। भारत में धर्म 1980 के दशक से मतदान आचरण के नियमित निर्णायक तत्व बन गया है। जनता पार्टी (1977-1980) के बाद काँग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिये, धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया। जनता का समर्थन खोने के बाद, खासकर मुसलमानों का क्योंकि 1977 के लोकसभा चुनावों आपातकाल में की गयी ज्याजतियों के कारण कांग्रेस ने जनता का समर्थन खो दिया था। पंजाब में सिख धर्म के धार्मिक संकेतों ने पंजाब की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाई है। शिरोमणी अकाली दल धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक मुद्दों की तरफ ध्यान देता है, विशेषकर किसानों के मुद्दों को और संघवाद को विशेषकर पड़ोसी राज्यों के साथ जल-विवाद जैसे मसलों को हल करना एवं चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाना।

अभ्यास प्रश्न 3

1) भारत में राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भाषा है। यह क्षेत्रीय पहचान, राज्यों को पुनर्गठन की राजनीति और भारत के विभिन्न हिस्सों में पहचान के आधार पर टकराव का आधार रहा है। भाषा मतदान व्यवहार के निर्धारक के रूप में भी काम करती है। लेकिन आमतौर पर भाषा अकेले मतदान व्यवहार को निर्धारित नहीं करती है। ऐसा अन्य कारणों से मिलकर होता है, जब भाषा को समुदाय, क्षेत्र या जातीय समूहों के पथ और भेदभाव का आधार माना जाता है। जाति, धर्म जैसे अन्य तत्वों की तुलना में कुछ पस्थितियों में निर्वाचक राजनीति में वह अधिक प्रभावी कारक रही है। तमिलनाडु में हिंदी भाषा के खिलाफ इस तर्क के आधार पर आंदोलन हुआ कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा था। पूर्वोत्तर में, विशेषकर 1960 के दशक में असमी और बंगाली भाषाओं का टकराव था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी भाषा राजनीति का हिस्सा बन जाती है। धर्म के आधार पर हिन्दी को हिन्दू पहचान का प्रतीक और उर्दू को मुस्लिम पहचान का प्रतीक माना जाता है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY